	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 15/2013–14

राज्य द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

–बनाम–

अजय कुमार साह, वगै0 (टेम्पू चालक)

–: आदेश :–

~~06.04.2021~~
07.03.2021

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक– 173/आ0, दिनांक– 26.02.2014 एवं पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक– 331/अप0शा0, दिनांक– 14.02.2014 के द्वारा बोरियो जिरवाबाड़ी थाना कांड सं0– 300/2013, दिनांक– 31.08.2023 धारा 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 100 (एक सौ) लीटर किरासन तेल को अधिहरित (राजसात) करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– राम जीवन सिंह, पिता– श्री यदुनन्दन सिंह, सा0– मोकामा, थाना– मोकामा, जिला– पटना वर्त्तमान पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो, थाना– बोरियो, जिला– साहेबगंज ने दिनांक– 31.08.2013 को गुप्त सूचना के आधार पर माँ भगवती स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा देवी, पति– गोपाल साह द्वारा एक ओटो रिक्शा जिसका नम्बर जे0एच0 18सी0– 0745 के द्वारा 2 (दो) जरकिन प्लास्टिक का डब्बा में 100 (एक सौ) लीटर किरासन तेल कालाबाजारी करने के नियत से कहीं भेजा जा रहा था। सूचना प्राप्त होते ही जिरवाबाड़ी ओ0पी0 के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को साथ लेकर चानन ग्राम की ओर जा रहे थे, इसी क्रम में चानन के तलाब के पुल के नजदीक एक ओटो रिक्शा खड़ा पाया। जिसे ग्रामीण के श्री विनोद मंडल, श्री राम कुमार मंडल एवं श्री गोपाल मंडल द्वारा ओटो को रोक कर रखे हुए थे। ग्रामीणों की मदद से उस ओटो में लदा हुआ दो हरा रंग का जरकिन में 100 (एक सौ) लीटर किरासन तेल को अवैध पाते हुए जप्त किया एवं जप्ती सूची तैयार कर श्री विनोद मंडल एवं राम कुमार मंडल ने अपना अपना हस्ताक्षर किये। ओटो रिक्शा चालक से नाम पता पुछने पर उन्होनें अपना नाम अजय कुमार साह, पिता– श्री भरत साह, सा0– छोटा जिरवाबाड़ी, थाना– बोरियो जिरवाबाड़ी बताया। साथ ही उन्होनें लिखित ब्यान दिया कि श्रीमती कृष्णा देवी, माँ भगवती स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली के अध्यक्ष–सह–वार्ड पार्षद तथा उनके पति– श्री गोपाल प्रसाद साह ने उनके ओटो को रोकवाया तथा 2 (दो) जरकिन हरा रंग का डब्बा में 50–50 लीटर किरासन तेल भरा हुआ ओटो में रख दिया और बोला कि जिरवाबाड़ी पेट्रोल पंप में निरंजन मंडल, पिता– नामालूम, सा0– चानन को दे देने की बात बोले। उपरोक्त 100 (एक सौ) लीटर किरासन तेल एवं ओटो रिक्शा नम्बर जे0एच018सी0– 0745 को जप्त कर प्राथमिकी अभियुक्त माँ भगवती स्वयं

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2 सहायत समूह के अध्यक्ष 1. श्रीमती कृष्णा देवी, पति– गोपाल साह, 2. श्री गोपाल साह, पिता– स्व0 रामप्रसाद साह, 3. माँ भगवती स्वयं सहायता समूह के सचिव, 4. कोषाध्यक्ष सभी सा0– चानन, 5. अजय कुमार साह ओटो चालक, पिता– भरत साह, सा0– छोटा जिरवाबाड़ी, सभी थाना– बोरियो जिरवाबाड़ी, जिला– साहेबगंज के विरूद्ध किरासन तेल की कालाबाजारी करने के आरोप में धारा– 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया एवं जप्त सामग्री को थाना के मालखाना में सुरक्षा हेतु थाना प्रभारी को सुपुर्द्व किया गया। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में संलग्न जप्ती सूची एवं प्राथमिकी तथा पर्यवेक्षण टिप्पणी का अवलोकनोपरांत संतुष्ट होते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त 100 लीटर किरासन तेल को क्यों नहीं अधिहरित कर लिया जाय। उपरोक्त जप्त किये गये किरासन तेल के कालाबाजारी में संलिप्त अभियुक्तों से कारण पृच्छा की मांग करे कि क्यों नही उनके द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन करने के आरोप में उनका अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाय। साथ ही जप्त 100 लीटर किरासन तेल को क्षति होने से रोकने हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो को आदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, जिरवाबाडी ओ0पी0 से उपरोक्त जप्त किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुसार बिक्री कर बिक्री राशि जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा कर नाजीर रसीद की प्रति न्यायालय को उपलब्ध करावेगे। विपक्षी अजय कुमार साह के द्वारा उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल की गई है। कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जिरवबाडी थाना कांड सं0– 300/2013 जिसका जी0आर0 नं0– 657/13 आवश्यक वस्तु अंधिनियम 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विपक्षी बनाया गया है जिसमे विपक्षी सं0– 01 की संलिप्ता नहीं है। बयान को विपक्षी नं0– 01 का बयान तोड़मोड़ कर लिखा गया है। आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विपक्षी सं0– 01 के विरूद्व आरोप है कि JH18C-0745 के द्वारा दो जरकिन जिसमें 100 ली0 किरासन तेल कालाबाजारी हेतु भेजा जा रहा था ऐसा कहना सरासर गलत मंशा हो दुर्शाता है। विपक्षी सं0– 01 उक्त गाड़ी का ना तो मालिक है और ना ही ड्राइवर है। उनके द्वारा उक्त वाद से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो के द्वारा अपने पत्रांक– 23/आ0, दिनांक– 16.06.2017 से 100 लीटर किरासन तेल को बिक्री कर जिला आपूर्ति कार्यालय, साहेबगंज में राशि जमा संबंधी प्रतिवेदन नाजिर रसीद के साथ समर्पित किया गया है। थाना प्रभारी, जिरवाबाड़ी के द्वारा दिनांक– 08.01.2021 को समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कांड सं0– 300/2013 में जप्त किरासन तेल 100 लीटर जिसका बिक्री प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो द्वारा बिक्री कर प्राप्त राशि को जिला आपूर्ति कार्यालय, साहेबगंत में अपने पत्रांक– 23/आ0, दिनांक– 16.06.2017 के द्वारा समर्पित की गई है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत आटो रिक्शा सं0– JH18C-0745 को मुक्त करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो को भेजे। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:22:15 +05:30
Location: 192.168.0.141